तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगदीश बनाम हरीराम वगै. अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –20 / 2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से मौजारोही चक 8 सीएचडी के मु0नं0 8 / 11 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 24,25 मे 3.5406 हैक्टेयर कमांड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है प्रार्थी उपरोक्त खोतदारी भूमि मे आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी अपनी भूमि मे आ जा नहीं सकता चक 8 सीएचएम के मु0नं0 8 / 11 के कि0नं0 1,10,11,20,21 मे उत्तर से दक्षिण मे कटानी रास्ता है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि के नज़दीक का कटानी रास्ता है इससे अधिक नजदीक एवं सुविधाजनक अन्यरास्ता प्रार्थी के पास नहीं है प्रार्थी की भूमि से लगभग 3 बीघा की दूरी पर कटानी रास्ता है प्रार्थी अपने खेत मे आने जाने के लिए चक 8 सीएचएम के मु0नं0 8 / 11 के कि0नं021,22 की उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 02–02 बिस्वा व कि0नं0 23 मे उत्तरी सींव पर 16 फुट लम्बाई व 16 फुट चौडाई मे पूर्व से पश्चिम रास्ता कटाना चाहता है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आसानी से आवागमन कर सके। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त रास्ता के बदले मे नियमानुसार प्रतिफ राशि देने को तैयार है। चक 8 सीएचएम के मु0नं0 8 / 11 के कि0नं0 1,10,11,20,21 मे उत्तर से दक्षिण में कटानी रास्ता है लेकिन प्रार्थी की भूमि के चक 8 सीएचएम के मु0नं0 8 / 11 के कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 24,25 मे 3.5406 हैक्टेयर कमांड मे आने जाने के लिए कटानी रास्ता नहीं है प्रार्थी के चिपता हुआ कटानी रास्ता यही है इसलिए प्रार्थी चक 8 सीएचएम के मु0नं0 8 / 11 के कि0नं021,22 की उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 02–02 बिस्वा एवं कि0नं0 23 मे उत्तरी सींव पर 16 फुट लम्बाई व 16 फुट चौडाई मे पूर्व से पश्चिम रास्ता कटाना चाहता है। उक्त रास्ता स्वीकृत करने के लिए प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये सहमति पत्र उक्त रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान की है। हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी चक 8 सीएचडी मु0नं0 8 / 11 खाता संख्या नया 17 संवत् 2077–78 , नजरी नक्शा का अवलोकन किया । वांछित रास्ता हेतु सम्बन्धित पक्षकार द्वारा सहमति पत्र पेश किया गया है जो शामिल मिसल है। उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है उभय पक्ष आपसी सहमति से निस्तारण चाहते हैं। अतः सहमति प्रार्थना पत्र के आधार पर भूमि के बदले भूमि देने की सहमति अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राशि निर्धारित पश्चात् पक्षकार को हस्तांतरण कर् चक 8 सीएचएम के मु0नं0 8 / 11 के कि0नं021,22 की उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 02–02 बिस्वा व कि0नं0 23 मे उत्तरी सींव पर 16 फुट लम्बाई व 16 फुट चौडाई मे पूर्व से पश्चिम रास्ता कटानी उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता का रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 22/12/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	